https://farid.ps/articles/israel_is_holding_thousands_of_palestinians_hostage/hi.html

इज़राइल द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून का लंबे समय तक उल्लंघन, फ़िलिस्तीनी बंदियों की बंधक स्थिति, और समाधान का मार्ग

दशकों से, इज़राइल ने उन प्रथाओं में भाग लिया है जो अंतरराष्ट्रीय कानून और फ़िलिस्तीनी बंदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं, उन्हें बिना आरोपों के मनमाने ढंग से हिरासत में रखा जाता है और गंभीर दुर्व्यवहार, जिसमें यातना और यौन हिंसा शामिल है, का शिकार बनाया जाता है। इन बंदियों को, जिन्हें बिना उचित प्रक्रिया के भयावह परिस्थितियों में रखा जाता है, उनकी हिरासत की जबरन और मनमानी प्रकृति के कारण बंधकों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इज़राइल अपनी मनमानी हिरासत की प्रथा को समाप्त करके, फ़िलिस्तीनी बंदियों को रिहा करके, और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों का पालन करके, हमास द्वारा बंधक बनाए गए अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित कर सकता है और हमलों की संभावना को कम कर सकता है, जिससे संघर्ष का एक मूल कारण संबोधित हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का दशकों तक उल्लंघन

इज़राइल द्वारा प्रशासनिक हिरासत का उपयोग—बिना आरोप या मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में रखना—दशकों पुराना है और यह अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 9) और निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार (अनुच्छेद 10) प्रदान करती है, जबकि इज़राइल द्वारा 1991 में अनुमोदित नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि (ICCPR) अनुच्छेद 9 और 14 के तहत इन अधिकारों को मजबूत करती है। चौथा जेनेवा सम्मेलन, जो इज़राइल पर कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में लागू होता है, कब्जे वाले क्षेत्रों में बिना मुकदमे के हिरासत को सीमित करता है, फिर भी इज़राइल की प्रशासनिक हिरासत का नियमित उपयोग इन मानकों का उल्लंघन करता है। संयुक्त राष्ट्र की मनमानी हिरासत पर कार्य समूह ने इस प्रथा को लगातार मनमाना करार दिया है, विशेष रूप से पारदर्शिता की कमी और बंदियों के लिए कानूनी सहारा न होने के कारण (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय)।

इस प्रथा का पैमाना चौंका देने वाला है। 7 अक्टूबर 2023 से पहले, लगभग 1,300 फ़िलिस्तीनी प्रशासनिक हिरासत में थे, और यह संख्या 2025 की शुरुआत तक 3,400 से अधिक हो गई (अदामीर सांख्यिकी)। ऐतिहासिक आंकड़े दिखाते हैं कि यह कोई नया घटनाक्रम नहीं है; डैनियल जे. एन. वीशट द्वारा 2015 में किए गए एक अध्ययन ने 2005-2012 के बीच व्यवस्थित दुर्व्यवहारों को दर्ज किया, जिसमें हजारों बंदियों में से 60 यौन यातना के मामले शामिल थे, जो एक दीर्घकालिक पैटर्न को दर्शाते हैं (DOI: 10.1016/j.rhm.2015.11.019)। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 2024 में इन प्रथाओं को उनकी व्यवस्थित प्रकृति के कारण युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में वर्गीकृत किया (संयुक्त राष्ट्र आयोग)।

बंदियों के साथ गंभीर दुर्व्यवहार

फ़िलिस्तीनी बंदी अकल्पनीय परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिसमें यातना, यौन हिंसा, और अपमान शामिल है, जो यातना के खिलाफ सम्मेलन (CAT) और ICCPR अनुच्छेद 7 का उल्लंघन करता है, जो क्रूर, अमानवीय, या अपमानजनक व्यवहार को प्रतिबंधित करता है। 2015 के अध्ययन में जबरन नग्नता, मौखिक यौन उत्पीड़न, और शारीरिक हमलों जैसे जननांगों पर दबाव और कुंद वस्तु से बलात्कार का विवरण दिया गया (वीशट, 2015)। 7 अक्टूबर 2023 के बाद, दुर्व्यवहार बढ़ गया: रिपोर्टों में पसलियों के टूटने, बिजली के झटके, वाटरबोर्डिंग, जलन, और वस्तुओं और कुत्तों के साथ बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। किर्यात अरबा पुलिस स्टेशन पर एक महिला बंदी को आंखों पर पट्टी बांधकर बलात्कार की धमकी दी गई, और संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने अगस्त 2024 तक हिरासत में 53 लोगों की मौत की सूचना दी, जिसमें शव परीक्षणों में यातना के संकेत मिले (एमनेस्टी इंटरनेशनल; संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ)।

अपमानजनक रणनीतियां व्यापक हैं, जैसे बंदियों को नग्न करना, उन पर पेशाब करना, और उन्हें अपमानजनक कार्य करने के लिए मजबूर करना, जैसे इज़राइली गाने गाना या गिनती के दौरान घुटनों पर बैठना। ये स्थितियां मार्च 2025 तक 14 साल के बच्चों को भी प्रभावित करती हैं, जो मानवीय गरिमा और अंतरराष्ट्रीय कानून की व्यवस्थित अवहेलना को दर्शाती हैं (DCIP)।

फ़िलिस्तीनी बंदी बंधकों के रूप में

आरोपों, मुकदमे, या दोषसिद्धि की अनुपस्थिति और उनकी हिरासत की जबरन प्रकृति को देखते हुए, फ़िलिस्तीनी बंदियों को कैदियों के बजाय बंधकों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। 1979 का बंधक लेने के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बंधकों को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें तीसरे पक्ष को कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए हिरासत में लिया जाता है, लेकिन यह शब्द उन सरकारी प्रथाओं पर भी बयानबाजी में लागू हो सकता है जो व्यक्तियों को राजनीतिक या सुरक्षा कारणों से मनमाने ढंग से स्वतंत्रता से वंचित करती हैं। प्रशासनिक हिरासत, जिसका उपयोग फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध को दबाने के लिए किया जाता है और अक्सर इसमें स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए यातना शामिल होती है, इस ढांचे में फिट बैठती है। व्यवस्थित दुर्व्यवहार—जो अपमान और नीचा दिखाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं—बंधक लेने की विशिष्ट जबरन मंशा के साथ संरेखित होते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार समूह इन हिरासतों को मनमाना बताते हैं, और गाजा में रखे गए बंधकों के साथ समानता बनाते हैं, हालांकि वे कानूनी शब्द का उपयोग नहीं करते (एमनेस्टी इंटरनेशनल)। उन्हें बंधक कहना इज़राइल के कार्यों की गैरकानूनीता और नैतिक गंभीरता को रेखांकित करता है, जो उन्हें कानूनी कारावास से अलग करता है।

समाधान का मार्ग: फ़िलिस्तीनी बंदियों की रिहाई और मनमानी हिरासत का अंत

इज़राइल फ़िलिस्तीनी शिकायतों के मूल कारण—मनमानी हिरासत और दुर्व्यवहार—को संबोधित करके हमास द्वारा बंधक बनाए गए अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित कर सकता है और हमलों की संभावना को कम कर सकता है। हमास द्वारा बंधक लेना, हालांकि बंधक सम्मेलन के तहत गैरकानूनी है, स्पष्ट रूप से पारस्परिक रिहाई के लिए बातचीत करने के उद्देश्य से है, जैसा कि 2011 के गिलाद शालित सौदे (एक इज़राइली सैनिक के लिए 1,027 फ़िलिस्तीनी कैदी) और नवंबर 2023 के युद्धविराम सौदे (105 बंधकों के लिए 240 फ़िलिस्तीनी बंदी) में देखा गया (द गार्जियन; सीएनएन)। अक्टूबर 2024 तक, गाजा में 97 इज़राइली बंधक बचे हैं, और हमास व्यापक कैदी विनिमय की मांग कर रहा है (सीएनएन)। 3,400 से अधिक प्रशासनिक हिरासत में रखे गए फ़िलिस्तीनी बंदियों को रिहा करके, इज़राइल पारस्परिक रिहाई को सुगम बना सकता है, क्योंकि हमास ने इन शर्तों पर बातचीत करने की इच्छा दिखाई है।

इसके अलावा, मनमानी हिरासत की प्रथा को समाप्त करना फ़िलिस्तीनी उग्रवाद के एक प्रमुख चालक को संबोधित करेगा। 7 अक्टूबर 2023 का हमला, जिसमें 1,200 लोग मारे गए और 251 बंधक बनाए गए, आंशिक रूप से फ़िलिस्तीनी बंदियों की उच्च संख्या—अप्रैल 2024 तक 9,500 से अधिक, जिनमें से कई बिना आरोप के यातनापूर्ण परिस्थितियों में रखे गए—के कारण प्रेरित था (अल जज़ीरा)। यह व्यवस्थित अन्याय क्रोध और हिंसा को भड़काता है, क्योंकि हमास जैसे समूह बंदियों की दुर्दशा का उपयोग हमलों को उचित ठहराने के लिए करते हैं। प्रशासनिक हिरासत को समाप्त करना, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना, और वैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना ऐसे हमलों के लिए प्रोत्साहन को कम करेगा और संघर्ष में एक प्रमुख शिकायत को संबोधित करेगा।

प्रतिवाद और खंडन

इज़राइल यह तर्क दे सकता है कि प्रशासनिक हिरासत सुरक्षा के लिए आवश्यक है, संदिग्ध खतरों को हिरासत में लेकर हमलों को रोकने के लिए। हालांकि, उचित प्रक्रिया की कमी, गुप्त साक्ष्य, और व्यवस्थित दुर्व्यवहार इस औचित्य को कमजोर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों ने दस्तावेज किया है कि कई बंदी, जिनमें बच्चे शामिल हैं, कोई विश्वसनीय खतरा नहीं हैं, और यह प्रथा अक्सर कार्यकर्ताओं और नागरिकों को सामूहिक सजा के रूप में लक्षित करती है (बी'त्सेलेम)। इसके अलावा, दुर्व्यवहारों का पैमाना—यातना, यौन हिंसा, और हिरासत में मौतें—किसी भी सुरक्षा आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वे CAT और ICCPR के तहत अपरिहार्य अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। बंदियों को रिहा करना

और हिरासत प्रथाओं में सुधार न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप होगा, बल्कि हमास जैसे समूहों के कथानक को भी कमजोर करेगा, जिससे उनकी बंदी मुद्दे के माध्यम से समर्थन जुटाने की क्षमता कम हो जाएगी।

निष्कर्ष

इज़राइल की दशकों पुरानी मनमानी हिरासत की प्रथा, बिना आरोप के, फ़िलिस्तीनी बंदियों की यातना, यौन हिंसा, और अपमान के साथ मिलकर, अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करती है, जैसा कि UDHR, ICCPR, CAT, और जेनेवा सम्मेलनों में उल्लिखित है। इन बंदियों को, जो जबरन और अमानवीय परिस्थितियों में रखे जाते हैं, उनकी हिरासत की गैरकानूनीता और नैतिक गंभीरता को दर्शाने के लिए बंधकों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इन फ़िलिस्तीनी बंधकों को रिहा करके और मनमानी हिरासत को समाप्त करके, इज़राइल हमास द्वारा बंधक बनाए गए अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित कर सकता है, जैसा कि पिछले पारस्परिक रिहाई सौदों से प्रदर्शित होता है, और बंदियों के साथ व्यवहार से उत्पन्न शिकायतों से प्रेरित हमलों की संभावना को कम कर सकता है। यह दृष्टिकोण इज़राइल को उसके अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के साथ संरेखित करेगा, संघर्ष के एक मूल कारण को संबोधित करेगा, और अधिक न्यायसंगत समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा।

प्रमुख उद्धरण

- वीशट, डी. जे. एन. (2015). फ़िलिस्तीनी पुरुषों की यौन यातना
- एमनेस्टी इंटरनेशनल: यातना के भयावह मामले
- एमनेस्टी इंटरनेशनल: बंधकों और बंदियों की रिहाई
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय: फ़िलिस्तीनी बंदी मनमाने ढंग से हिरासत में
- संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ: यातना का बढ़ता उपयोग
- संयुक्त राष्ट्र आयोग: कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्र पर रिपोर्ट
- अदामीर सांख्यिकी
- बी’त्सेलेम: प्रशासनिक हिरासत
- DCIP: सबसे कम उम्र का फ़िलिस्तीनी बच्चा हिरासत में
- सीएनएन: इज़राइल-हमास युद्ध: 7 अक्टूबर की सालगिरह
- द गार्जियन: गिलाद शालित की रिहाई बदले में
- अल जज़ीरा: फ़िलिस्तीनी कैदियों का दिन